

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

3

राजस्व अपील सं. :- 132/2024
जीसीएमएस नम्बर :- 2024/207

अपीलार्थीगण :-

1. कल्याणसिंह पुत्र श्री आईदान सिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी शिवसर, लवारन, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
2. श्रीमती इन्द्रा कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री गायड़ सिंह, उम्र 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी शिवसर, लवारन, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
3. श्रीमती चन्द्र कंवर पत्नी श्री पदम सिंह, उम्र 74 वर्ष, जाति राजपूत निवासी मुकनसर लोड़ता, असलावता लोड़ता, तहसील चामू जिला जोधपुर।
4. श्रीमती फूल कंवर पत्नी श्री जोग सिंह, उम्र 63 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ग्राम जेठानिया, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
5. श्रीमती भंवरी कंवर पत्नी श्री बाबू सिंह उम्र 72 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी दानजी की ढाणी, वीरमदेवगढ़, सेतरावा 342025, जिला जोधपुर।
6. रतनसिंह पुत्र श्री बिड़दसिंह, उम्र 74 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी हनुमान नगर, बनों का बास, नाथराऊ, तहसील चामू जिला जोधपुर।
7. भरत सिंह पुत्र श्री बिड़दसिंह, उम्र 69 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी हनुमान नगर, बनों का बास, नाथराऊ, तहसील चामू जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :-

1. श्रीमती अणच कंवर पुत्री राजसिंह के कायम मुकाम:-
 - 1/1. भंवर सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह, उम्र 65 वर्ष
 - 1/2. मेघ सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह, उम्र 60 वर्ष
 - 1/3. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह, उम्र 57 वर्ष
 - 1/4. भाकर सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह, उम्र 55 वर्ष
 - 1/5. उत्तम सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह, उम्र 53 वर्ष
 - 1/6. गोपाल सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह, उम्र 50 वर्ष जातियान राजपूत, निवासीयान- लवारन, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
 - 1/7. श्रीमती बिर कंवर पत्नी श्री पदम सिंह उम्र 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम संगरा, तहसील देचू जिला फलौदी
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, विरुद्ध विरासत नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 21.03.2024 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी (अपीलार्थीगण)।
2. प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

:- आदेश :- दिनांक :- 30.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम हिम्मतनगर, पटवार मण्डल-खारीबेरी, तहसील



बालेसर के नामान्तरकरण संख्या 362 पर पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11.11.2024 को पेश की है। अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र पेश किया है। अपीलान्ट्स अधिवक्ता की दिनांक 29.01.2025 को बहस सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 30.01.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त व सारवान तथ्य अपीलांट अनुसार इस प्रकार है कि ग्राम हिम्मतनगर प.म. खारीबेरी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर की खसरा संख्या 1971 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1977 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1978 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1980 रकबा 1.4731 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या-4, रकबा 4.2007 हैक्टेयर, पूरी, तथा खसरा संख्या- 1966 रकबा 3.9983 हैक्टेयर भूमि श्रीमती इन्द्र कंवर पत्नी श्री राज सिंह के नाम सहखातेदार के रूप में अमल-दरामद चला आ रहा था तथा इन्द्र कंवर का दिनांक 16.02.1982 को देहान्त हो चुका है। पूर्व में उक्त इन्द्राज वक्त सेन्टलमेन्ट से स्वर्गीय राजसिंह के नाम चले आ रहे है। इन्द्र कंवर के तीन पुत्रियां अणच कंवर, खमा कंवर तथा हरू कंवर है तथा पुत्र देवी सिंह है। देवी सिंह लाओलाद फौत हो चुके है।

(a) खमा कंवर के दो वारिशान रतन सिंह व भारत सिंह है।

(b) हरू कंवर के वारिशान- कल्याण सिंह, गायड़ सिंह, भंवरी कंवर, इन्द्र कंवर, फूल कंवर है।

(c) इसी प्रकार अणच कंवर के फौत होने से उनके वारिशान-भंवर सिंह, मेघ सिंह, नरेन्द्र सिंह, भाकर सिंह,उत्तम सिंह, गोपाल सिंह व बिर कंवर है।


उक्तानुसार श्रीमती इन्द्र कंवर की वारिशान पुत्री-अणच कंवर, खमा कंवर, हरू कंवर रहे है तथा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है परन्तु इन्द्र कंवर के फौत होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 362 से केवल मात्र अणच कंवर के अकेले के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है तथा सम्पूर्ण आराजी अणच कंवर के नाम दर्ज कर दी, जबकि इनका 1/3 हिस्सा ही बनता है तथा खमा कंवर के वारिश- अपीलांट संख्या 6 व 7, रतन सिंह व भारत सिंह का 1/3 हिस्सा तथा हरू कंवर के वारिशान अपीलांट संख्या- 1 से 5 तक है, जिसका 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर तीन में से मात्र एक पुत्री अणच कंवर के नाम नामान्तरकरण खोला है, जो विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्त है। पुस्तैनी आराजी में अपीलांट्स का जन्म से ही अधिकार है। नामान्तरकरण खोलते वक्त अपीलांट को सुना ही

नहीं गया तथा लैण्ड रिकार्ड रूल्स 119 से 148 तक की पालना किए बिना ही एक वारिश के नाम नामान्तरकरण स्वीकार कर दो पुत्रियों के नाम छोड़ दिए हैं, जो गलत है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थागण को जरिए नोटिस तलब करने हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दिनांक 16.11.2024 को भेजे गए, जो उनको डिलीवर हो चुके हैं। सबूत के रूप में रजिस्टर्ड पोस्टल रसीदे व ट्रेक रसीदे पेश की गईं, परन्तु नोटिस डिलीवर होने के बावजूद भी पेशी दिनांक 26.11.2024 को उपस्थित नहीं हुए तथा न ही पश्चातवर्ती तिथियों को उपस्थित हुए हैं। अतएव इन प्रत्यर्था पर पर्याप्त तामिल मानते हुए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, तहसीलदार बालेसर से प्राप्त मूल नामान्तरकरण संख्या 362 का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स मृतका इन्द्र कंवर के प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिश है तथा पुस्तैनी भूमि में अपीलांट का जन्म से ही 1/3 हिस्सा बनता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विनिता शर्मा के प्रकरण में यह तय कर दिया है कि पुत्रियों का जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति में हक है, जबकि अपीलांट्स को 2/3 हिस्सा से वंचित कर सम्पूर्ण आराजी प्रत्यर्थागण संख्या 1/1 से 1/7 तक के नाम गलत दर्ज की है जबकि उनका 1/3 हिस्सा ही बनता है।
5. अपील देरीना पेश करने के कारणों बाबत विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूरी कार्यवाही एक तरफा हुई है तथा अणच कंवर के निधन के बाद दिनांक 23.10.2024 को सर्वप्रथम उन्हे नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 21.03.2024 की जानकारी हुई। जानबूझकर हमने अपील पेश करने में देरी नहीं की है। देरी सदभाविक रूप से जानकारी के अभाव से हुई है। अतः न्याय हित में देरी को क्षम्य किया जावे तथा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।



प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों, अधिवक्ता के तर्कों तथा प्रकरण उत्तराधिकार से सम्बन्धित होने के कारण प्रकरण की परिस्थितियों एवं प्रकृति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है तथा अपील अन्दर म्याद पेश होना मानी जाती है।


अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जयपुर

6

6. प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया। ग्राम हिम्मतनगर का खसरा संख्या 1971 रकबा 1.4083 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1977 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1978 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1980 रकबा 1.4731 हैक्टेयर, कुल रकबा 4.2007 हैक्टेयर, जमाबंदी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 19 अनुसार खातेदार इन्द्र कंवर पत्नी राज सिंह के नाम दर्ज है।

इसी प्रकार खाता संख्या 137 अनुसार ख.न. 1966 रकबा 3.9983 हैक्टेयर में इन्द्र कंवर का 1/4 हिस्सा दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो कापी मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार इन्द्र कंवर का दिनांक 16.02.1982 को देहान्त हुआ है, परन्तु लम्बी अवधि तक इन्द्र कंवर के वारिशान के नाम विरासत का नामान्तरकरण दर्ज नहीं होना आश्चर्य का विषय है परन्तु अचानक ही अणच कंवर ने नामान्तरकरण अपने पक्ष में दर्ज करने हेतु आवेदन दिनांक 29.02.2024 को पेश किया, जिस पर पटवारी राजेन्द्र सिंह ने दिनांक 19.03.2024 को नामान्तरकरण संख्या 362 दर्ज किया तथा तहसीलदार ने दिनांक 21.03.2024 को स्वीकृत किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलांटस ने इन्द्र कंवर की दो अन्य पुत्रियां के वारिशान बताकर पेश की है।

7. रेस्पोंडेन्टस ने उपस्थित होकर अपीलांटस की अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं कथनों का खण्डन नहीं किया है। प्रकरण उत्तराधिकार के नामान्तरकरण से सम्बन्धित है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 362 वसीयतनामा के आधार पर नहीं खोला है। अतः राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 40 के प्रावधानों अनुसार खातेदारी आसामी की निर्वसीयती मृत्यु होने पर उसके भूमि में निहित उसके हित, उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवतरण होनी चाहिए जिसके कि अधीन वह मृत्यु के समय अधीन था। अतः मृतक इन्द्र कंवर के समस्त कानूनी वारिशान की गहन जांच की जाकर उसके समस्त विधिक वारिशान के नाम वादग्रस्त आराजी बाबत हितों का निर्धारण करना यह न्यायालय न्यायोचित मानता है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना गहन जांच-पड़ताल किए मात्र अणच कंवर के प्रार्थना पत्र पर ही दर्ज किया जाकर स्वीकार किया है, जो लैंड रिकार्ड रूल्स 1957 के प्रावधानों के बिल्कुल ही विपरीत है तथा राजस्व अधिकारियों की लापरवाही है। ऐसे नामान्तरकरण को व उसके आधार पर किए समस्त पश्चातवर्ती इन्द्राजो/अन्तरणों को मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः एव अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार योग्य है।



sm

अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार यह अपील स्वीकार की जाती है। ग्राम हिम्मतनगर, पटवार मण्डल खारीबेरी का नामान्तरकरण संख्या 362 व उस पर पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 को अपास्त किया जाता है तथा इस निरस्त नामान्तरकरण से किए गए समस्त पश्चातवर्ती इन्द्राज/हस्तान्तरण अवैध घोषित किए जाकर अपास्त किये जाते हैं।

प्रकरण तहसीलदार बालेसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि मृतका इन्द्र कंवर के समस्त कानूनी वारिशान की गहन जांच की जावे तथा प्रभावित समस्त वारिशान को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए नामान्तरकरण पर विधिक प्रक्रिया अपनाकर साक्ष्य/सबूत से उसे निर्णित किया जाकर तदनुसार रिकार्ड में मान्य वारिशान के नाम अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न होने तक विवादग्रस्त आराजी के इन्द्राज इन्द्र कंवर के नाम ही रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार बालेसर को लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।



(जवाहर चौधरी) 01/25
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला जोधपुर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 01/25
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अपर जिला जोधपुर (प्रथम)
जोधपुर